हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
30.01.2023	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की ओर से श्री फूलाराम जाट एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील वादीगण ने वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में विधिक विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅंगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण श्री फूलाराम जाट एंव श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर एड0 ने वाद पत्र के विभाजन से सम्बन्धित होने से पक्षकारान् के हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एंव बाउण्ड्स विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी–अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित किये। प्रकरण में वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने वाद पत्र के विभाजन से सम्बन्धित होने से वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी कर वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅंगवाये जाने बाबत सहमति व्यक्त कर दिये जाने से प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस के आधार पर प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व खातेदारी में दर्ज कृषि भूमियों का रास्ते की सुविधा सहित व हिस्से अनुसार बाई मिट्स एंव बाउण्ड्स उनके मध्य विधिक तकास्मा किया जाकर अलग–अलग खातेदार काश्तकार दर्ज करते हुए प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅंगवाये जावे। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री का निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रारम्भिक डिक्री के निर्णयानुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 की नियमानुसार पालना करते हुए एंव माननीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.14 17:13:19 IST
Reason: SelfAttested

—लगातार—

क्र.	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय 2017 आर. आर. टी. पेज 689 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार उभय पक्षों को सूचना देकर विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार से तैयार करवाकर एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/ न्याया/ स्था /प – 51 / 2008/ विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार तैयार किये जाकर कुरेजात रिपोर्ट मॅगवाये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। वास्ते प्रारम्भिक डिकी की पालना में प्राप्त होने विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पत्रावली दिनांक 20.02.2023 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.03.14 17:13:19 IST Reason: SelfAttested 30/01/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	